वैदिक उपासना पीठद्वारा प्रकाशित

बुधवार, पौष **शुक्ल** पक्ष, **सप्तमी,** कलियुग वर्ष ५१२२ (२० जनवरी, २०२१)

वैदिक उपासना

राष्ट्र एवं धर्मके पुनरूत्थान हेतु समर्पित ऑनलाईन दैनिक वृत्त पत्र

धर्माचरण हेतु कष्ट उठाना, राष्ट्र हेतु समय देना एवं साधना हेतु त्याग करना, यह सनातन उपासना है।

e-mail : upasanawsp@gmail.com, website : www.vedicupasanapeeth.org.

कलका पंचांग

जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रं

२१ जनवरी २०२१ का वैदिक पंचांग

कलियुग वर्ष – ५१२२ / विक्रम संवत – २०७७ / शकवर्ष - १९४२.....कलके पंचांगके सम्बन्धमें और जानकारी हेतु इस लिंकपरजाएं.....https://vedicupasanapeeth.org/hn/kal-ka-panchang-21012021

गुरु वन्दना

संसारवृक्षमारूढाः पतन्ति नरकार्णवे।
यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः॥

अर्थ : संसाररूपी वृक्षपर आरूढ हुए लोग नरकरूपी सागरमें गिरते हैं। उन सबका उद्धार करनेवाले श्रीगुरुदेवको नमस्कार है।

शास्त्रवचन

य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति।
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः॥
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः।
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि॥

अर्थ : जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त धर्मको मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है और उससे बढकर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योंमें कोई भी नहीं है तथा पृथ्वीभरमें उससे बढकर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं; अतः गुरुको ही नहीं; अपितु ईश्वरको भी धर्म प्रसार करनेवाले भक्त प्रिय होते हैं।

****

न कार्तिसमो मासो न कृतेन समं युगम्।
न वेदसदृशं शास्त्रं न तीर्थ गंगया समम्॥

अर्थ : कार्तिकके समान दूसरा कोई मास नहीं, सत्युगके समान कोई युग नहीं, वेदके समान कोई शास्त्र नहीं और गङ्गाजीके समान कोई तीर्थ नहीं है।

धर्मधारा

१. हिन्दू राष्ट्र क्यों आवश्यक है ? (भाग-११)

आतंकी और नक्सली आक्रमणमें प्रायः प्रत्येक सप्ताह कहीं न कहीं हमारे सैनिक हुतात्मा होते रहते हैं। नक्सलियों और आतंकियोंसे मुक्त भारत हेतु हिन्दू राष्ट्रकी स्थापना करना अनिवार्य हो गया है।

२. ईश्वरके तत्त्वोंको न जाननेके कारण ही कुछ शिवोपासक, भगवान विष्णुकी निन्दा करते हैं और कुछ वैष्णव भगवान शिवकी निन्दा करते हैं, कोई यदि निन्दा और द्वेष नहीं भी करते हैं तो उदासीन तो रहते ही हैं; परन्तु शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति इस प्रकारका व्यवहार करता है, उसे वस्तुतः ज्ञानरहित ही समझा जाना चाहिए। हमारे शास्त्रोंमें कहीं भी शिवजी और विष्णुजीने एक-दूसरेकी निन्दा न ही की है और न ही निन्दा आदि करनेके लिए कहा ही है; अपितु निन्दा आदिका निषेध करने और दोनोंको एक ही परमेश्वरके भिन्न स्वरूप माननेका आग्रह किया गया है, इस सम्बन्धमें स्वयं भगवान शिव, श्रीविष्णु भगवानसे कहते हैं :–

मद्दर्शने फलं यद्वै तदेव तव दर्शने।
ममैव हृदये विष्णुर्विष्नोश्च हृदये ह्यहं॥
उभयोरंतरं यो वै न जानाति मतो मम।

– (शिव० ज्ञान० ४/६१-६२)

अर्थ: आप मेरे हृदयमें निवास करते हैं और मैं आपके हृदयमें रहता हूं। मेरे दर्शनका जो फल है, वही आपके दर्शनका है और जो हम दोनोंमें कोई भेद नहीं समझता है, वही हमें मान्य है।

****

३. कई बार उपासनाके कार्यक्रममें कुछ शुभचिन्तक, कुछ साधक नेता, अभिनेता, क्रिकेटर जैसे प्रसिद्ध व्यक्तिको मुख्य अतिथिके रूपमें बुलानेका हठ करते हैं; उन्हें लगता इससे कार्यक्रमको प्रसिद्धि सहजतासे मिलेगी; परन्तु मेरा ऐसा मानना है कि आजके नेता, अभिनेता ये सब अधिकांशतः रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं, जिनके लिए धन एवं ऐश्वर्य ही उनके देवता होते हैं, वस्तुतः मेरे त्रिगुणातीत सद्गुरुके सङ्कल्प मात्रसे सर्व कार्य यशपूर्वक सम्पूर्ण हो सकते हैं, ऐसा मेरा

सोचना है; अतः कार्यसिद्धि हेतु मुझे किसी भी रज एवं तम प्रधान व्यक्तित्वकी प्रसिद्धिकी सीढीकी आवश्यकता नहीं । सत्यको प्रसारित होनेमें कलियुगमें थोडा समय अवश्य लग सकता है; परन्तु जब वह पसरता है तो एक दावानलका रूप धारण कर लेता है, ऐसी शक्ति धर्म और सत्यमें ही मात्र निहित है, यह मैं अपने सभी शुभचिन्तकोंको बताना चाहती हूं । इस बार मैं महाकुम्भमें गई थी और मैंने पाया कि अधिकांश कथित सन्त चलचित्रके नटों और आदर्शहीन राजनेताओंको अपने शिविरमें बुलानेमें व्यस्त थे और इसे ही वे अपने प्रसिद्धिका माध्यम एवं सन्तत्वका मापदण्ड मान रहे थे । इन सन्तोंको रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तिका आधार लेना पड रहा है, क्या यह अपनेआपमें इनके सन्तत्वपर प्रश्नचिह्न खडा नहीं कर देता है ? त्रिगुणातीत सन्तोंके आगे राजसिक और तामसिक व्यक्तिको नमन करना चाहिए, इसके विपरीत हो तो समझ लें कि 'दालमें कुछ काला' है ।

– (पू.) तनुजा ठाकुर, सम्पादक

प्रेरक प्रसंग

जीवनका सार

एक दिन विद्यालयमें अवकाशकी घोषणा होनेके कारण, एक सूचिकका (दर्जीका) पुत्र, अपने पिताजीके कार्यस्थलपर चला गया । वहां जाकर वह बडे ध्यानसे अपने पिताजीको कार्य करते हुए देखने लगा । उसने देखा कि उसके पिताजी कैंचीसे कपडेको काटते हैं और कैंचीको पैरके पास टांगसे दबाकर रख देते हैं । तत्पश्चात सुईसे उसको सीते हैं और सीनेके पश्चात सुईको अपनी टोपीपर लगा लेते हैं । जब उसने इसी क्रियाको

चार-पांच बार देखा तो उससे रहा नहीं गया । उसने अपने पिताजीसे पूछा, “पिताजी मैं बहुत समयसे आपको देख रहा हूं, आप जब भी कपडा काटते हैं, उसके पश्चात कैंचीको पैरके नीचे दबा देते हैं, और सुईसे कपडा सीनेके पश्चात, उसे टोपीपर लगा लेते हैं, ऐसा क्यों ? इसका जो उत्तर पिताजीने दिया, उन दो पंक्तियोंमें मानो उसे जीवनका सार समझा दिया ।

उत्तर था, “पुत्र, कैंची काटनेका कार्य करती है और सुई जोडनेका कार्य करती है । काटनेवालेका स्थान सदैव नीचा होता है; परन्तु जोडनेवालेका स्थान सदैव ऊपर होता है । यही कारण है कि मैं सुईको टोपीपर लगाता हूं और कैंचीको पांवके नीचे रखता हूं ।”

घरका वैद्य

जायफल (भाग-४)

९. मुखकी दुर्गन्ध और फीकापन : जायफलके छोटे-छोटे टुकडोंको दिनमें २,३ बार चूसते रहनेसे मुखकी दुर्गन्ध और फीकापन दूर हो जाता है ।

१०. दन्त पीडा : रूईसे जायफलका तेल दांतकी जडमें लगाने और रिक्त भागमें फोहा भरकर दबाए रखनेसे पीडामें लाभ मिलेगा ।

११. कटि पीडा (कमर दर्द) : पानमें जायफलका टुकडा डालकर खाने और जायफलको जलमें घिसकर बने लेपको 'गर्म-गर्म' ही कटिमें लगाकर मर्दन अर्थात मालिश करें ! इससे कमरकी पीडा समाप्त हो जाती है ।

* जायफलको जलके साथ सिलपर घिस लें ! तत्पश्चात उसे २०० मिलीलीटर तिल्लीके तेलमें अच्छी प्रकारसे उष्ण करें ।

ठण्डा होनेपर कमरकी 'मालिश' करें ! इससे कटिपीडासे छुटकारा मिलता है।

१२. बच्चोंके दूध न पचनेपर : मांका दूध छुडाकर बाहरका दूध पिलानेपर, यदि शिशुको न पच रहा हो, तो दूधमें एक जायफल डालकर खूब उबालें ! इसे ठण्डा करके पिलाएं ! इससे दूध सरलतासे पच जाएगा और बंधा हुआ मल दुर्गन्ध रहित होगा।

उत्तिष्ठ कौन्तेय

कांग्रेस नेताने किया लडकियोंकी विवाह आयु १८ से २१ करनेका विरोध

मोदी शासन लडकियोंके विवाहकी आयु १८ से २१ करनेके नूतन विधानपर विचार-विमर्श कर रहा है; परन्तु इस विषयपर आपत्ति प्रकट करते कांग्रेस नेता सज्जन सिंहने आपत्ति प्रकट की है। नेताने प्रश्न किया, "लडकी जब १५ वर्षकी आयुमें बच्चा जन्मनेमें सक्षम हो जाती है, तो विवाहकी आयु २१ वर्ष करनेकी क्या आवश्यकता है ?"

यह है नारीवादकी बातें करनेवाले व जिस दलकी अध्यक्षा स्वयं एक स्त्री हैं, उनकी इस विषयमें यह विचारधारा कि स्त्री बच्चा 'पैदा' करने योग्य हो गई, तो विवाह कर दें ! यह आश्चर्यजनक नहीं है; क्योंकि ये ही तो कांग्रेसके मूल संस्कार हैं। कांग्रेसको इस वक्तव्यपर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या कांग्रेसके नेता लडकियोंको इस्लामकी भांति बच्चा 'पैदा करनेकी 'मशीन' मात्र समझते हैं? यदि ऐसा है तो विचार करें कि ये बेटियोंका रक्षण कैसे करेंगे ?

केरलके वामपन्थी शासनने मन्दिरभें ध्वनिप्रसारक यन्त्र धीरे बजानेको कहा

केरलके सत्तारूढ पक्ष वाम लोकतान्त्रिक मोर्चाने अपनी हिन्दू विरोधी नीतिको दर्शाते हुए राज्यके मन्दिरोंमें 'लाउडस्पीकर'पर लगभग प्रतिबन्ध लगा दिया है। 'स्वराज्य'के समाचार अनुसार नूतन वर्षके प्रारम्भमें ७ जनवरीको केरल देवस्वोम 'बोर्ड'ने एक आदेश पारित करते हुए कहा है कि मन्दिरोंको ५५ डेसिबेलसे अधिक ध्वनिवाले 'लाउड स्पीकर' लगानेकी अनुमति नहीं होगी।

उल्लेखनीय है कि ५५ डेसिबेलकी ध्वनि घरके भीतर दो व्यक्ति परस्पर वार्तालाप कर सकें, इतनी ही होती है। सामाजिक जालस्थानोंपर इसे लेकर हिन्दुओंका आक्रोश प्रकट हो रहा है। कारण यह आदेश मात्र हिन्दू मन्दिरोंपर लागू होगा।

कुछ लोगोंने केरलके कांग्रेसी नेता शशि थरूरसे भी इस निर्णयपर प्रश्न किए हैं।

केरल शासनका यह निर्णय अनुचित है। केरलकी वामपन्थी सरकार सदैव हिन्दू विरोधी रही है। सबरीमला मन्दिरमें भगवान अय्यपाके दर्शनपर भी इस शासनने अपना हिन्दू विरोधी रूप जनमानसको दर्शाया था। मस्जिदोंमें दिनमें दो बार 'लाउडस्पीकर'से कर्णकर्कश ध्वनि की जाती है; उसपर भी रोक लगाते। मात्र मन्दिरोंपर ऐसे प्रतिबन्ध भारतमें लगाना लज्जास्पद है। (१९.०१.२०२१)

बॉलीवुडके भाण्ड सलमान खानको ५ वर्षके दण्डकी चुनौती याचिकापर प्रस्तुत होनेसे १७वीं बार मिल गई छूट

जोधपुरके स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायालयने बॉलीवुडके भाण्ड सलमान खानको ६ फरवरीको उनके समक्ष प्रस्तुत होनेको कहा है । न्यायालयने अभिनेताको शनिवार, १६ जनवरीको प्रस्तुत होनेसे छूट दी । सलमान खानको एक निचले न्यायालयके उस आदेशको चुनौती देनेवाली एक याचिकाकी सुनवाईके प्रकरणमें शनिवारको न्यायालयमें प्रस्तुत होनेके लिए कहा गया था, जिसमें उन्हें पांच वर्ष कारावासका दण्ड दिया था।

अप्रैल २०१८ में सलमान खानने 'ट्रायल कोर्ट'से मिले दण्डको को जिला एवं सत्र न्यायाधीशके न्यायालयमें चुनौती दी थी। इसके पश्चात वे एक बार न्यायालयमें प्रस्तुत हुए। ढाई वर्षकी इस अवधिमें इसके अतिरिक्त प्रत्येक सुनवाईपर वे किसी न किसी कारणसे उपस्थितिकी छूट लेते रहे। १७ बार वह उपस्थितिकी क्षमाका लाभ ले चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि न्यायालयने भी 'कोरोना' कालको ध्यानमें रखते हुए हर बार सलमानको उपस्थिति छूट प्रदान की । स्थानीय पुलिसने सलमान खान व अन्यके विरुद्ध २ अक्टूबर १९९८ को हिरण शिकारका प्रकरण प्रविष्ट किया था । सलमानके विरूद्ध हिरण शिकारका प्रकरण विश्नोई समुदायकी ओरसे प्रविष्ट कराया गया था।

यह है धनकी शक्ति, यदि आप धनी हैं, तो आप न्याय, न्यायालय व न्याय तन्त्रको कभी भी ठोकर मार सकते हैं और कोई कुछ नहीं कहेगा; परन्तु न्यायपालिकामेंइनके हस्तक्षेपके कारण अब न्यायालयोंमे भी तुष्टीकरणकी

राजनीति आरम्भ हो चुकी है और यह हमारे न्यायतन्त्र व शासकगणके लिए अत्यन्त घातक है। (१९.०१.२०२१)

****

'अमेजॉन प्राइम' की 'कंटेंट हेड' अपर्णा पुरोहितके विरुद्ध भाजपा नेताओंने स्वर मुखरित किए

भारतमें 'अमेजॉन प्राइम'की 'कंटेंट हेड' अपर्णा पुरोहितके विरुद्ध भाजपा नेताओंने अपने स्वर मुखरित किए हैं और कम्पनीसे उन्हें निकालनेकी मांग की है। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गाने 'सोशल मीडिया'के माध्यमसे कुछ अनुचित्र (स्क्रीनशॉट्स) साझाकर कहा कि वे वामपन्थी झुकाववाली हैं। अपर्णा पुरोहितने सद्गुरु जग्गी वासुदेवके विरुद्ध भी लेख साझा किया था। उसमें उन्हें 'फ्रॉड' बताया गया था।

एक अन्य 'सोशल मीडिया पोस्ट'में उन्होंने 'सीएए' और 'एनआरसी' के विरुद्ध चल रहे दुष्प्रचार अभियानका भी साथ दिया था और वरुण ग्रोवरकी कविता 'हम कागज नहीं दिखाएंगे' को आगे बढाया था। 'सीएए' विरोधी आन्दोलनके समय वामपन्थी मीडियाके समाचारोंको साझा करते हुए उन्होंने लिखा था, 'यही है विकासका सच' और मोदी शासनपर कटाक्ष किया था।

जामिया हिंसा प्रकरणमें भी उन्होंने हिंसा करनेवाले कट्टर इस्लामी छात्रोंका साथ दिया था। भाजपा 'आईटी सेल' के अध्यक्ष अमित मालवीयने एक पत्र लिखकर अमेज़ॉनके 'कंट्री हेड'को भेजते हुए 'अमेजॉन प्राइम'पर चल रहे हिन्दूविरोधी विषयको लेकर चिन्ता प्रकट की थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि कैसे अपर्णा पुरोहितके अन्तर्गत 'वीडियो प्लेटफॉर्म'पर हिन्दू विरोधी विषय परोसे जा रहे हैं ?

हिन्दुओ, यह षड्यन्त्र इतना बडा है कि कुछ नेताओं या किसी अन्यके विरोध करनेसे कुछ नहीं होगा। मिलकर विरोध करें और इतना करें कि शासनकी निद्रा टूटे और शासन इसे भारतमें प्रतिबन्धित करनेको विवश हो जाए।

****

राम मन्दिरके लिए अर्पण मांग रहे हिन्दू कार्यकर्ताओंपर आक्रमण, घेरकर लगाई आग, बचाने आई गुजरात पुलिसपर भी 'पत्थरबाजी'

पिछले कुछ दिनोंमें राम मन्दिर सङ्कल्प निधिके लिए अर्पण राशि मांग रहे हिन्दू कार्यकर्ताओंपर देशके कई भागोंमें आक्रमणके समाचार आए हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्रके पश्चात अब वर्तमान प्रकरण गुजरातके कच्छका है, जहां गांधीधामके किदाना गांवमें इसे लेकर दो समुदायोंके मध्य संघर्ष हो गया, जो उपद्रवमें परिवर्तित हो गया। यह घटना रविवार, १७ जनवरीकी है, जब हिन्दू कार्यकर्ता अयोध्यामें निर्माणाधीन राम मन्दिरके लिए राशि एकत्र करने निकले थे।

किदानाके राम रथयात्राके पास एकाएक भीड एकत्र हो गई, जिन्होंने 'पत्थरबाजी' आरम्भ कर दी। इस मध्य पुलिसको भी नहीं छोडा गया, पुलिसकर्मियोंपर भी भारी 'पत्थरबाजी' हुई, कुछ चोटिल भी हुए।

गांधीधामके 'डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस' वीआर पटेलने 'इंडियन एक्सप्रेस'से बात करते हुए बताया कि ये दो समूहोंके मध्य संघर्षका प्रकरण है और पुलिसने घटनास्थलपर पहुंचकर स्थितिको नियन्त्रणमें कर लिया है। पुलिसने कहा है

कि इस प्रकरणमें आगे जांच की जा रही है। पुलिसने बताया कि गांवमें राम रथयात्रापर कुछ अराजक तत्त्वोंद्वारा 'पत्थरबाजी'के पश्चात यह सङ्घर्ष आरम्भ हुआ, जो हिंसक हो गया।

राममन्दिरपर उच्चतम न्यायालयद्वारा दिए गए निर्णयको जिहादी अभीतक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जिहादी सम्भवत: गोधराको दोहरना चाह रहे थे, ध्यान रहे कि गोधरामें भी निहत्थे कारसेवकोंको जलाया गया था, जो अयोध्यासे कारसेवा करके लौट रहे थे। २००२ के पश्चात गुजरातमें कोई भी छोटे या बडे साम्प्रदायिक उपद्रव नहीं हुए है, जबकि कांग्रेसके शासनमें २००२ से पहले गुजरातमें आए दिन उपद्रव होते रहते थे। कांग्रेस लम्बे समयसे गुजरातमें सत्तासे बाहर है। राज्य और केन्द्र शासनको चाहिए कि वह ध्यान दे कि ये उपद्रव किसी राजनीतिक षड्यन्त्रका परिणाम तो नहीं है ? और अपराधियोंको कठोर दण्ड भी दे ! (१९.०१.२०२१)

****

इस्लामी समूहने पादरी और उसकी पत्नीपर किया आक्रमण, गिरिजाघरकी भीत (दीवार) भी कर दी ध्वस्त

युगाण्डामें कट्टर इस्लामी समूहने एक पादरी और उसकी पत्नीपर आक्रमण किया। 'मॉर्निंग न्यूज स्टार'के अनुसार, गुटने पूर्वी युगाण्डाके किबुकु जनपदमें नानकोडो उप-काउंटीमें गिरिजाघरकी भीतके एक भागको भी ध्वस्त कर दिया।

'रिपोर्ट' में बताया गया है कि यह नृशंस आक्रमण एक

इमामके ५ दिसम्बरको ईसाई धर्म स्वीकार करनेको लेकर हुआ। गुटमें ८ लोग सम्मिलित थे। उन्होंने काजीगो क्षेत्रमें उसी सन्ध्या पादरी मोशे नबवाना और उसकी पत्नी लोविसा नौरापर निर्दयतापूर्ण आक्रमण किया। दोनों गिरिजाघरकी सेवाके पश्चात अपने घर लौट रहे थे।

आक्रमणके उपरान्त दोनोंको अनेक दिवसोंतक चिकित्सालयमें रहना पडा। इसके अतिरिक्त, जिहादी समूहने उस गिरिजाघरपर भी आक्रमण किया, जहां तत्कालीन इमामने अपना वक्तव्य दिया था। उन्होंने छत, खिडकियां, 'बेंच', वाद्ययन्त्र और द्वार सहित गिरिजाघरके कुछ भागको ध्वस्त कर दिया।

जानकारीके अनुसार, 'कोरोना वायरस' महामारीके मध्य पादरी लोगोंको निःशुल्क 'मास्क' बांट रहे थे और अपने अनुयायियोंसे यीशु मसीहके विषयमें वार्ता कर रहे थे। इसी मध्य पूर्व इमामकी पादरीसे मिलन हुआ। इमामके ईसाईमें परिवर्तित होनेके पश्चात गिरिजाघरके सदस्योंने उन्हें और उनकी पत्नीको सुरक्षा चिन्ताओंके कारण १० दिसम्बरको एक अस्थायी सुरक्षित घरमें स्थानान्तरित कर दिया था।

घटनाकी आपबीती पादरीकी पत्नीने सुनाई। उन्होंने स्मरण करते हुए बताया कि उनके सदस्योंको बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने ऊंचे स्वरसे चिल्लाकर प्रभुकी स्तुति की, जिसने आसपासके मुसलमानोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। ६ बजे इमामके धर्म परिवर्तनकी घोषणा हुई। उन्होंने आगे कहा, “उन्होंने मेरे पतिकी पिटाई आरम्भ कर दी। उन्होंने लाठी और नुकीली वस्तुओंसे उनके सिर, पीठ और छातीपर प्रहार किया। मैं ऊंचे स्वरसे चीखने लगी। इसके

पश्चात उन्होंने मुझपर छडीसे आक्रमण किया । जिसमें मेरी छाती, पीठपर चोटें आई और मेरा हाथ टूट गया ।"

जिहादी विश्वके किसी भी भागके हों, आतंक उनका मूल धर्म है, जो इस्लामकी कथित धार्मिक शिक्षाकी पोल खोलता है ।

****

पाकिस्तानको विभाजित कर सिंधुदेश बनानेकी मांग करते हुए सहस्रों पाकिस्तानियोंने निकाली विशाल रैली

पाकिस्तानके बलूचिस्तानके पश्चात अब सिंधमें भी स्वतन्त्रताके लिए आन्दोलन तीव्र हो गया है । १७ जनवरीको सिंध प्रान्तके सन्न जनपदमें सहस्रों प्रदर्शनकारियोंने पाकिस्तानसे स्वतन्त्रताकी मांग करते हुए सडकोंपर विशाल रैली निकाली । इसी मध्य उन्होंने हाथमें भारतके प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदीका छायाचित्र भी लिया हुआ था । लोगोंने 'आजादी-आजादी'के उद्घोषकर पाकिस्तानसे पृथक हो स्वतन्त्र सिंधुदेश बनानेकी मांग की । लोगोंके हाथोंमें अन्य वैश्विक राजनेताओंके भी छायाचित्र थे, जिसे वह लहरा रहे थे । इसमें जर्मनीके 'चांसलर' एंजेला मर्केल रूसके राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन व अमेरिकाके नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेनके छायाचित्र सम्मिलित थे । प्रदर्शनकारियोंने वैश्विक राजनेताओंसे इस प्रकरणमें हस्तक्षेपकर सिंधुदेशके गठनकी मांग की है । पूर्वमें भी सिंध समुदायद्वारा स्वतन्त्रताकी मांगको लेकर जन आन्दोलन किए गए हैं, जिसमें जीएम सैयदको आधुनिक सिंध राष्ट्रवादका जनक माना जाता है । इस 'रैली'का नेतृत्व 'सिंध मुत्तहिदा महाज'के अध्यक्ष शफी मोहम्मद गुलफाम सहित अन्य राजनेताओंने किया था । बुरफातने सिंधका उद्योग,

दर्शन, समुद्री यातायात व गणित आदिके क्षेत्रोंमें योगदानके विषयपर चर्चा करते हुए, किस प्रकार पाकिस्तानद्वारा 'फासीवादी इस्लामी' प्रसारितकर सिंधके नागरिकोंको बन्दी बना रखा है ? इसपर प्रकाश डाला । उनके अनुसार, पाकिस्तान सिंधके संसाधनोंका दुरुपयोग करते हुए मानवाधिकारोंका भी निरन्तर उल्लङ्घन करनेमें लिप्त है । सिंधके अनेक सङ्गठन स्वतन्त्रताके समर्थनमें हैं व अन्तरराष्ट्रीय स्तरपर भी इसकी मांग उठाते रहते हैं । उन्होंने यह भी कहा कि सिंध पाकिस्तानका भाग नहीं रहना चाहता, जो अपनी दमनकारी नीतियोंपर ही चलता है । उल्लेखनीय हैं कि गत वर्षोंसे पाकिस्तानके बलूचिस्तान व पाक अधिकृत कश्मीरसे भी इसी प्रकार के प्रदर्शनोंके समाचार आते रहते हैं । वहांके नागरिकोंद्वारा निरन्तर स्वतन्त्रताकी मांगको लेकर जन आक्रोश व्यक्त किया जाता है ।

समाचारसे स्पष्ट होता है कि किस प्रकार पाकिस्तान अपनी दमनकारी नीतियोंद्वारा वहांके निवासियोंका उत्पीडन करता है । अब भारतको ऐसे प्रकरणोंको विश्वके सभी राष्ट्रोंके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए और पाकिस्तान जैसे आतङ्की राष्ट्रपर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगवा देना चाहिए ।

****

परमार वंशके राजभवनपर 'निजी सम्पत्ति'का पटल लगानेवाले काजीपर अर्थदण्ड, स्थल रिक्त करनेका आदेश

विगत दिनों मध्य प्रदेशके विदिशा जनपद मुख्यालयसे ७० किलोमीटर दूर प्राचीन उदयपुर नगरमें लगभग एक सहस्र वर्ष प्राचीन परमार वंशके राजभवनपर लगे 'निजी सम्पत्ति'वाले

पटलको प्रशासनद्वारा हटा दिया गया था। अब इस प्रकरणमें 'निजी सम्पत्ति'का पटल लगानेवाले मोहम्मद काजी सैयद इरफान अलीको न्यायालय 'नायब तहसीलदार'की ओरसे आदेश जारी किया गया है।

आदेशमें कहा गया है कि शासकीय भूमिपर अकारण अधिकार करने एवं भूमि अपने अधिकारमें रखनेके कारण सैयद इरफान अलीको उक्त भूमि ग्राम उदयपुरके खसरा संख्या ८२२, रकबा ०७९५ में से २० बाई ४० वर्गफुटसे अनधिकृत किया जाता है। इसके साथ ही उसपर धारा २४८(१) के अन्तर्गत ५००० रुपएका अर्थदण्ड भी लगाया गया है। यह आदेश १५ जनवरी २०२१ को जारी किया गया।

आदेशमें कहा गया है कि एक सप्ताहके भीतर अर्थात कि २२ जनवरी २०२१ से पूर्व उक्त भूमिसे अपना अधिकार हटा लें! उक्त भूमिपर किसी भी प्रकारकी कोई भी वस्तु या संरचना आदि नहीं होना चाहिए और अर्थदण्ड न्यायालयमें जमा करनेके लिए निर्देशित किया गया है। ऐसा नहीं होनेपर अतिक्रमण बलपूर्वक हटाने एवं अर्थदण्डकी राशि भू-राजस्वके शेषकी भांति उगाहनेकी बात कही गई है।

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि यदि निश्चित समय सीमाके भीतर भूमिपरसे अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, तो भूमिमें स्थित फसल, निर्माण या भवन अधिग्रहित कर लिया जाएगा एवं न्यायालयके विवेक अधिकारसे धारा २४८(१) के अन्तर्गत निर्णय किया जाएगा। यदि निर्धारित दिनांकके पश्चात भी भूमिपर हस्तक्षेप जारी रहा तो २३ जनवरी २०२१ से ५०० रुपए प्रतिदिनके अनुसार जोडा

जाएगा । इसके साथ ही यदि हस्तक्षेप न करनेके आदेशके समय सीमाके भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो उसपर धारा २४८ (२ ए) के अन्तर्गत 'सिविल जेल'की कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।

मध्य प्रदेश शासन इस हेतु अभिनन्दनका पात्र है । आशा है कि सभी इससे सीख लेंगे और जिहादियोंद्वारा अतिक्रमित किए गए सभी क्षेत्रोंको छुडाएंगे; इनका मुख्य कार्य ऐसे ही भूमि जिहाद करना है।

****

वैदिक उपासना पीठद्वारा कुछ आवश्यक सूचनाएं

१. वैदिक उपासना पीठद्वारा विजयादशमीसे अर्थात दि. २५/१०/२०२० से ऑनलाइन बालसंस्कारवर्गका शुभारंभ हो चुका है। यह वर्ग प्रत्येक रविवार, त्योहारोंको एवं पाठशालाके अवकाशके दिन प्रातः १० से १०:४५ तक होगा। इस वर्गमें ७ वर्षसे १५ वर्षकी आयुतकके बच्चे सहभागी हो सकते हैं। यदि आप अपने बच्चोंको इसमें सम्मिलित करने हेतु इच्छुक हैं तो पञ्जीकरण हेतु कृपया 9717492523, 9999670915 के व्हाट्सऐप्पपर सन्देशद्वारा सम्पर्क करें।

२. वैदिक उपासना पीठके लेखनको नियमित पढनेवाले पाठकोंके लिए निःशुल्क ऑनलाइन सत्सङ्ग आरम्भ किया जा चुका है।

आनेवाले सत्संगका विषय व समय निम्नलिखित है :

सङ्ख्या सीमित होनेके कारणकृपया अपना पञ्जीकरण यथाशीघ्र कराएं । इस हेतु ९९९९६७०९१५ (9999670915) या ९७१७४९२५२३ (9717492523) के

व्हाट्सएप्पपर अपना सन्देश भेजें । कृपया पञ्जीकरण हेतु फोन न करें।

अगले कुछ सत्सङ्गोंकी पूर्व सूचना :

अ. नामजप कब, कहां और कितना करें ? २३ जनवरी, रात्रि ९.३० बजे

आ. क्या टैटू करवाना चाहिए ? २७ जनवरी, रात्रि ७.३० बजे

इ. गुरुके प्रकार ३१ जनवरी, रात्रि ९.३० बजे

३. वैदिक उपासना पीठद्वारा प्रत्येक दिवस भारतीय समय अनुसार रात्रि नौसे साढे नौ बजे 'ऑनलाइन सामूहिक नामजप'का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साधना हेतु मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, साथ ही आपको प्रत्येक सप्ताह 'ऑनलाइन सत्सङ्ग'के माध्यमसे वैयक्तिक स्तरपर भी साधनाके उत्तरोतर चरणमें जाने हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा, यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें ९९९९६७०९१५ (9999670915) या ९७१७४९२५२३ (9717492523) पर "मुझे सामूहिक नामजप गुटमें जोडें", यह व्हाट्सऐप्प सन्देश भेजें !

४. जो भी व्यक्ति वैदिक उपासना पीठके तत्त्वावधानमें अग्निहोत्र सीखना चाहते हैं वे ९९९९६७०९१५ के व्हाट्सऐप्पपर अपना सन्देश इसप्रकार भेजें ,'हमें कृपया अग्निहोत्र गुटमें सम्मिलित करें।'

५. कोरोना जैसे संक्रामक रोग एवं भविष्यकी आपातकालकी तीव्रताको ध्यानमें रखते हुए वैदिक उपासना पीठद्वारा संक्षिप्त दैनिक हवन कैसे कर सकते हैं ?, इस विषयमें १५ अगस्तसे एक नूतन उपक्रम आरम्भ किया जा रहा है । इसमें अग्निहोत्र

समान इसे सूर्योदय या सूर्यास्तके समय ही करनेकी मर्यादा नहीं होगी, इसे आप एक समय या सप्ताहमें जितनी बार चाहे, कर सकते हैं । यदि आप सीखना चाहते हैं तो ९९९९६७०९१५ पर हमें इस प्रकार सन्देश भेजें, “हम दैनिक हवनकी सरल विधि सीखना चाहते हैं, कृपया हमें यथोचित गुटमें जोडें।”

प्रकाशक : Vedic Upasana Peeth
जालस्थल : www.vedicupasanapeeth.org
ईमेल : upasanawsp@gmail.com
सम्पर्क : + 91 9717492523 / 9999670915